

## प्रेस नोट-

थाना सदर बाजार, झाँसी

दिनांक 21.12.2025

- झाँसी पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध लगातार की जा रही प्रभावी कार्यवाही,
- 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्ता गिरफ्तार,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 21.12.2025 को थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान अभियुक्ता – श्रीमती रीना पत्नी बालिक दास निवासी मथुरा कालौनी सिमराहा थाना सदर बाजार जनपद झाँसी उम्र करीब 36 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से प्लास्टिक की पिपिया में 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्ता के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 133/2025 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम – श्रीमती रीना पत्नी बालिक दास निवासी मथुरा कालौनी सिमराहा थाना सदर बाजार जनपद झाँसी उम्र करीब 36 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग की विवरण – मु0अ0स0 133/2025 धारा 60(1) आव0अधि0।

बरामदगी का विवरण – प्लास्टिक की पिपिया में करीब 20 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली टीम –

- 1- उ0नि0 श्री आशीष सिंह, थाना सदर बाजार, झाँसी
- 3- का0 450 अजीत कुमार, थाना सदर बाजार, झाँसी
- 4- म0का0 1991 पूनम, थाना सदर बाजार, झाँसी